<u>माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर के समक्ष</u>

खण्डपीठ (सिविल)

<u>विविध याचिका 1756/92</u>

कमलजीत सिंह भाटिया

आयु 37 वर्ष

आत्मज श्री इंदरजीत सिंह भाटिया

बुढ़ी खार की गली दयालबंद

<u>बिलासपुर मध्यप्रदेश</u> ...याचिकाकर्ता

<u>बनाम</u>

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अध्यक्ष, बिलासपुर रायपुर

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दयालबंद

<u>बिलासपुर मध्यप्रदेश</u> ...उत्तरवादी

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अधीन परमादेश, उत्प्रेषण पत्र या कोई अन्य / निदेश या आदेश की प्रकृति में रिट जारी करने हेतु ।

उपरोक्त याचिकाकर्ता ने निम्नानुसार प्रस्तुत किया है:-

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 1756/1992

याचिकाकर्ता — कमलजीत सिंह भाटिया

बनाम

उत्तरवादीगण — अध्यक्ष, बिलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दयालबंद बिलासपुर

एकलपीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री **सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश**

याचिकाकर्ता की ओर से श्री एन. के. व्यास, अधिवक्ता

उत्तरवादी की ओर से श्री पी. के. भादुड़ी, अधिवक्ता

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

मौखिक आदेश

(10 जुलाई, 2006)

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अधीन प्रस्तुत इस याचिका में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित दिनांक 26.4.1988 के बर्खास्तगी आदेश (अनुलग्नक पी/29–बी) और दिनांक 23.5.1989 के आदेश (अनुलग्नक पी/31) को चुनौती दी गई है।

2. तथ्य संक्षिप्त में यह है कि याचिकाकर्ता बिलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (संक्षेप में "बैंक”) के बलौदा शाखा में शाखा प्रबंधक के रूप में कार्यरत था। याचिकाकर्ता सन् 1981 से हसौद में शाखा प्रबंधक का स्वतंत्र प्रभार वहन कर रहा था। याचिकाकर्ता को दिनांक 3.3.1982 (अनुलग्नक पी/1) का आदेश दिया गया कि श्री ननकूराम साहू और श्री सभापति साहू द्वारा की गई शिकायत के संबंध में एक प्रारंभिक जांच की जाएगी और उन्हें श्री जे.आई. सैयद द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में भाग लेने हेतु निर्दशित किया गया था।

3. तत्पश्चात, याचिकाकर्ता को दिनांक 27.4.1982 को प्रथम आरोप पत्र (अनुलग्नक पी/2) दिया गया जिसमें निम्नानुसार आरोप शामिल थे:-

(क) यह कि, आपने दिनांक 6.2.82 को श्री ननकू राम साहू को 2500/- रूपये का भुगतान करते समय 230/- रूपये का कम भुगतान किया है तथा इस प्रकार राशि का दुर्विनियोग किया है।

(ख) यह कि, उक्त भुगतान करते समय आपने स्थापित कार्यवाही का अनुपालन नहीं किया है, जैसे कि, रसीद-सह-भुगतान पंजी, नकद विवरण, सुरक्षा कक्ष पंजी आदि में प्रविष्टि और ऐसे लेनदेन के लिए निर्धारित निर्देशों का अनुपालन नहीं किया है और इस प्रकार आप बैंक के निर्देशों का उल्लंघन करने के दोषी हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ग) यह कि श्री सभापति साहू को सेकेंड हैंड मशीन को एक नये के रूप में वित्तपोषित करने का प्रस्ताव देकर आपने बैंक के हित के लिए हानिकारक कार्य किया है।

(घ) यह कि आपके उपरोक्त कार्य आप पर लागू कर्मचारी सेवा विनियमन के विनियमन 19 का उल्लंघन हैं।

(ङ) यह कि आपके उपरोक्त कार्य उपेक्षापूर्ण हैं और आप इसके दोषी हैं।

(च) यह कि आपके उपरोक्त कार्य अक्षमता के हैं और आप इसके दोषी हैं।

(छ) यह कि आपके उपरोक्त कार्य आपकी ओर से अवचार के हैं।

4. याचिकाकर्ता ने दिनांक 27.4.1982 के आरोप पत्र पर दिनांक 4.5.1982 को अपना जवाब (अनुलग्नक पी/3) प्रस्तुत किया, जिसमें उसने स्वयं के निर्दोष होने का अभिवाक किया।

5. याचिकाकर्ता को निम्नानुसार आरोप हेतु दिनांक 16.2.1985 को द्वितीय आरोप पत्र (अनुलग्नक पी/9) जारी किया गया :-

"<u>आरोप</u>

आप पर श्री प्रेम चंद साण्डे निवासी ग्राम हसौद से उनके लिए स्वीकृत ऋण के संवितरण हेतु 400/– रुपये की अवैध परितोषण मांगने और स्वीकार करने का आरोप है। आपका उपरोक्त कृत्य बैंक के हित के लिए अत्यधिक प्रतिकूल है और आपकी सेवाओं को नियंत्रित करने वाले कर्मचारी सेवा विनियमों के नियम 19 का उल्लंघन करने के कारण घोर अवचार के समान है और उक्त विनियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग करता है।"

6. याचिकाकर्ता ने दिनांक 16.2.1985(अनुलग्नक पी/11) के आरोप पत्र पर दिनांक 5.3.1985 को अपना जवाब प्रस्तुत किया।

7. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर प्रथम आरोप पत्र क्रमांक 33/1937 दिनांक 27.4.1982 तथा द्वितीय आरोप पत्र क्रमांक 94/पी/312 दिनांक 16.2.1985 के विरुद्ध पत्र दिनांक 21.3.1987 (अनुलग्नक पी/15) द्वारा नवीन जांच का आदेश दिया गया। जांच अधिकारी ने 12.3.1988 को अपनी दो रिपोर्ट प्रस्तुत की। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 2.4.1988 (अनुलग्नक पी/27) द्वारा जांच रिपोर्टों से सहमत होकर याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्तगी की शास्ति प्रस्तावित करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता ने सभी आरोपों से इंकार करते हुए द्वितीय कारण बताओ नोटिस का जवाब दिनांक 23.4.1988 को (अनुलग्नक पी/28) प्रस्तुत किया।

8. जांच रिपोर्ट और याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब पर विचार करने के उपरांत अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने दिनांक 26.4.1988 के आदेश (अनुलग्नक पी/29–बी) के द्वारा याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया। याचिकाकर्ता ने निदेशक मंडल के समक्ष अपील की, जिसे अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिनांक 23.5.1989 को पारित आदेश (अनुलग्नक पी/31) के द्वारा खारिज कर दिया गया।

9. व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित आधारों पर यह याचिका प्रस्तुत की है:–

(क) प्रथम, याचिकाकर्ता को जांच से तीन दिन पहले पूर्व–दर्ज कथन नहीं दिए गए थे।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(ख) द्वितीय, जांच रिपोर्ट इस आधार पर दोषपूर्ण है कि आरोप–पत्र श्री ननकू राम साहू और श्री सभापति साहू द्वारा प्रस्तुत शिकायत के आधार पर जारी किया गया था, जिसे बाद में क्रमशः 6.5.1982 और 14.6.1982 के पत्र द्वारा वापस ले लिया गया है।

(ग) तृतीय, याचिकाकर्ता को बिलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (कर्मचारी सेवा) विनियम 1980 के नियम 30 (3) के अनुसार अधिवक्ता या विधि से भली–भांति परिचित व्यक्ति की सेवाएं लेने की अनुमति नहीं थी।

10. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एन. के. व्यास का तर्क है कि पूरी जांच अनुचित थी क्योंकि जांच अधिकारी ने अपनी जांच पूर्व–दर्ज कथनों के आधार पर की है और याचिकाकर्ता को साक्षियों का प्रतिपरीक्षण कराने का उचित और पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। विद्वान अधिवक्ता का आगे तर्क है कि जब शिकायतकर्तागण ने स्वयं ही अपनी शिकायतें वापस ले ली हैं तो जांच प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिए था, जांच इस आधार पर भी अनुचित थी कि याचिकाकर्ता को अधिवक्ता या विधि से भली भांति परिचित व्यक्ति की सेवाएं लेने की अनुमति भी नहीं थी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

11. इसके विपरीत, उत्तरवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पी. के. भादुड़ी का तर्क है कि यह उचित नहीं है कि जांच, विशेषतः, पहले आरोपों के समूह के संबंध में, पूर्व–दर्ज कथनों पर आधारित है। शिकायतकर्तागण को स्वयं प्रस्तुत किया गया एवं उनका परीक्षण कराया गया। याचिकाकर्ता को उनसे प्रतिपरीक्षण करने का पर्याप्त अवसर दिया गया, परंतु याचिकाकर्ता ने इस आधार पर साक्षियों का प्रतिपरीक्षण कराने से इंकार कर दिया कि उसे अधिवक्ता या विधि से भली भांति परिचित व्यक्ति की सेवाएं लेने की अनुमति नहीं है। द्वितीय, भले ही शिकायतें वापस ले ली गई हों, प्रारंभिक जांच में पाया गया कि याचिकाकर्ता ने घोर अवचार किया है और इसलिए न्याय के हित में सत्यता को ज्ञात करने हेतु पूर्ण विभागीय जांच करना आवश्यक था। पहले आरोपों में शामिल आरोपों को विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर साबित पाया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क किया कि विनियमन का नियम 30 (3) आज्ञापक नहीं है, बल्कि विवेकाधीन है, क्योंकि इसमें लिखा है कि 'अधिकारी या कर्मचारी विधि व्यवसायी को नियुक्त नहीं कर सकता है'। दूसरे आरोप–पत्र के संबंध में विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि ऐसा प्रतीत होता है कि आरोप साक्ष्य के आधार पर नहीं बल्कि पूर्व –दर्ज कथनों के आधार पर साबित हुआ है,

क्योंकि जिन साक्षियों ने पहले प्रारंभिक जांच में साक्ष्य दिया था, उन्होंने आगे आकर व्यक्त किया है कि वे जांच में कुछ नहीं कहना चाहते हैं।

12. विद्वान अधिवक्ता ने अंत में तर्क दिया कि यह कई निर्णयों में अभिनिर्धारित किया गया है और अब यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि विभागीय जांच के प्रकरणों में उच्च न्यायालय न्यायिक पुर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग कर यह ज्ञात किया सकता है कि आरोप कुछ साक्ष्य के आधार पर साबित हुए हैं या बिना साक्ष्य के, किंतु जब आरोप पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर साबित हो जाते हैं तो उच्च न्यायालय किसी भिन्न निष्कर्ष पर पहुंचने हेतु साक्ष्यों की पुनः विवेचना करने हेतु अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य नहीं कर सकता है।

13. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने तथा याचिका व जवाब सहित संलग्न अभिलेखों का परिशीलन करने के पश्चात यह स्पष्ट है कि पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर प्रथम आरोप साबित पाए गए हैं। श्री ननकू राम साहू एवं श्री सभापति साहू, जिन्होंने शिकायत की थी कि याचिकाकर्ता/अपचारी अधिकारी ने श्री ननकू राम साहू को स्वीकृत राशि से 230/– रुपए कम भुगतान किया, उनके प्रथम आरोप के प्रकरण में पूर्व–दर्ज कथनों साक्षियों को दिखाए गए तथा उसकी एक प्रतिलिपि बचाव पक्ष को प्रदान की गई, केवल जांच में किए गए कथन पर साक्षियों से प्रतिपरीक्षण करने के प्रयोजन से। तदनुसार, यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता कि प्रथम आरोप पूर्व–दर्ज कथनों के आधार पर साबित पाए गए।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

14. जहां तक अन्य आधारों का प्रश्न है, जैसे शिकायतकर्तागण द्वारा की गई शिकायतें वापस ले ली गईं, विधि में संधारणीय नहीं हैं क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायतें उनकी स्वतंत्र सोच के आधार पर वापस नहीं ली गईं बल्कि कुछ परिस्थितियों के आधार पर वापस ली गईं जो अभिलेख में नहीं लाई गई हैं। यद्यपि, उन्होंने जांच में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि याचिकाकर्ता ने उसे स्वीकृत की गई पूर्ण राशि का भुगतान न करके अवचार किया है और 1500/– रुपये के ऋण के बदले सिलाई मशीन के लिए 1000/– रुपये का भुगतान किया गया था।

15. तृतीय तर्क के संबंध में कि याचिकाकर्ता को अधिवक्ता अथवा विधि से भली भांति परिचित व्यक्ति की सेवाएं लेने की अनुमति नहीं दी गई थी, यह भी विधि में मान्य नहीं है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि यदि दूसरे पक्ष के प्रस्तुतकर्ता अधिकारी का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता द्वारा

किया जाता है, तो अपचारी अधिकारी को अधिवक्ता की सहायता से वंचित नहीं किया जा सकता है, परंतु वर्तमान प्रकरण में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कोई अधिवक्ता नियुक्त नहीं किया गया है। नियम 30(3) अपचारी कर्मचारी की ओर से विधि व्यवसायी की नियुक्ति का प्रावधान नहीं करता है।

16. **इंडियन ओवरसीज बैंक बनाम इंडियन ओवरसीज बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन व एक अन्य** (एआईआर 2001 4007) के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवचार के आरोपों का सामना करने के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी अन्य व्यक्ति की सहायता प्राप्त करने के अधिकार पर विचार करते हुए स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि 'इस देश का विधान किसी कर्मचारी को घरेलू जांच में सुनवाई के उसके अधिकार के अन्तर्गत प्रतिनिधित्व का पूर्ण अधिकार नहीं देता है और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिनिधित्व का कोई अधिकार नहीं है जब तक कि अनुशासनात्मक कार्यवाही के संचालन को विनियमित करने वाले नियम या विनियमन और स्थायी आदेश, यदि कोई हों, ऐसे अधिकार को विशेष रूप से मान्यता न दें और ऐसे प्रतिनिधित्व का प्रावधान न करें।' वर्तमान प्रकरण में घरेलू या अनुशासनात्मक जांच में अपचारी कर्मचारी को विधिक व्यक्ति की सहायता प्रदान करने का कोई नियम नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. अब, दूसरे आरोप–पत्र के संबंध में, मैंने प्रेम चंद साण्डे, कीर्तन पंच और टोकेराम लहरे के कथनों को देखा है, जिन्होंने कथित तौर पर प्रारंभिक जांच के दौरान कथन दिया है कि याचिकाकर्ता ने 16.2.1985 के दूसरे आरोप–पत्र में निहित अवचार किया था। उक्त साक्षियों ने जांच अधिकारी के समक्ष अपने कथनों में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है कि वे प्रारंभिक जांच के संबंध में और साथ ही याचिकाकर्ता के विरुद्ध कथित दूसरे आरोप पर वर्तमान जांच के विषय में कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं। जांच अधिकारी के समक्ष कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया और याचिकाकर्ता को प्रारंभिक जांच से पहले पूर्व–दर्ज कथनों के लेखकों का प्रति–परीक्षण कराने का अवसर नहीं दिया गया। अतः यह स्पष्ट है कि दूसरे आरोप बिना किसी साक्ष्य के साबित हुए और उन्हें निरस्त किया जाता है।

18. **योगीनाथ डी. बैज** (एआईआर 1999 एससी 3734) के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के दृष्टिगत विधि की स्थिति स्पष्ट है, जिसे **सुरेन्द्र कुमार ठाकुर बनाम भारतीय स्टेट बैंक व अन्य** (2006 श्रम और औद्योगिक प्रकरण आई.सी. 1977) के प्रकरण में इस न्यायालय के निर्णय में संदर्भित किया गया है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया है कि यह न्यायालय विभागीय जांच के निष्कर्षों में हस्तक्षेप कर सकता है यदि वह बिना किसी साक्ष्य के आधार पर साबित पाया जाता है। यदि कुछ साक्ष्य हैं, तो उच्च न्यायालय को एक भिन्न निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए।

19. उत्तरवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में **गणेश सांता राम सिरुर बनाम भारतीय स्टेट बैंक व अन्य** ((2005) 1 एससीसी 13) के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का व्यापक रुप से अवलंब लिया कि यदि गंभीर प्रकृति का एक भी आरोप साबित हो जाता है, तो अपचारी कर्मचारी पर उपयुक्त शास्ति पारित करना पर्याप्त है।

20. वर्तमान प्रकरण में प्रथम आरोप साबित हो चुका है, परंतु द्वितीय आरोप साबित नहीं पाया गया है। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने साबित पाए गए दोनों आरोपों पर विचार करने के उपरांत बर्खास्तगी आदेश पारित किया है। हो सकता है कि यदि एक आरोप, जिसे खारिज कर दिया गया है, अन्य साबित आरोपों सहित विचार किया जाए, तो अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा भिन्न निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अतः न्याय के हित में यह वांछनीय है कि प्रकरण को अनुशासनात्मक प्राधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाए ताकि वह इस प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में याचिकाकर्ता पर शास्ति के अपने निर्णय पर विचार कर सके।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

21. पूर्वगामी के दृष्टिगत, याचिका उपरोक्त दर्शित सीमा तक आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। वाद –व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

सही/–

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By ; Gangadhar Rajput

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur